



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 218 राँची, सोमवार, 26 चैत्र, 1946 (श०)
15 अप्रैल, 2024 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

8 अप्रैल, 2024

संख्या-11/आ०-07/2023-2198--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री बेसरा निशांत रॉबर्ट, कारा निरीक्षणालय, झारखण्ड द्वारा श्री बेसरा निशांत रॉबर्ट, तत्कालीन काराधीक्षक, बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची द्वारा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या-6132, दिनांक-21.12.2023 द्वारा दिये गये आदेश को अनुपालन नहीं किया गया, जैसा कि कारा निरीक्षणालय के पत्रांक-2862, दिनांक-27.12.2023 एवं पत्रांक-11, दिनांक-03.01.2024 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये अनुशंसा सह आरोप पत्र में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है ।

2. अतः श्री रॉबर्ट के विरुद्ध आरोप पत्र (memo of charges) में गठित आरोपों की जांच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

3. श्री रॉबर्ट के विरुद्ध गठित आरोपों की जाँच के लिए श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र० से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. तदनुसार एतद् द्वारा श्री बेसरा निशांत रॉबर्ट को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

5. श्री रॉबर्ट के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अरविन्द कुमार, अवर सचिव, कारा निरीक्षणालय, झारखण्ड, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का आदेश प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री बेसरा निशांत रॉबर्ट, प्राचार्य, कारा प्रशिक्षण संस्थान, हजारीबाग एवं श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची विभागीय जाँच पदाधिकारी को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ऐनी रिन्कु कुजूर,
सरकार के अवर सचिव।
